

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 191.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (हलवाई सह रसोइया एवं लिपिक के पद) भर्ती नियम, 2017 उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में हलवाई सह रसोइया के पद हेतु संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (हलवाई सह रसोइया) भर्ती नियम, 2022 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स का स्तर):-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा संबंधी अन्य बातें वें होंगी पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहर्ता :- वह व्यक्ति -**
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।
6. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स मे स्तर)
(1)	(2)	(3)	(4)
हलवाई सह रसोइया	(01)* 2022 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 3 (21,700-69,100 रुपये)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति - कैंटीन परिचर के पद स्तर-1 (18,000 से 56,900 रुपये) पर कार्यरत तथा उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष की नियमित सेवा

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले से पूरी कर ली गयी ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति –

ऐसे कार्मिक जो केन्द्रीय सरकार कार्यालय में:

- (क) (i) समकक्ष पद पर नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में कार्यरत; अथवा
(ii) ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और
- (ख) निम्न शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता रखते हो :-
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खानपान में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र।
(ii) अभ्यर्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिये खाना पकाने का ट्रेड कौशल परीक्षण आयोजित किया जायेगा।

वांछनीय अर्हता :-

किसी सरकारी विभाग में अथवा उपक्रम में खानपान सेवा में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1. यदि चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन विभाग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो इन समुदाय के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव संबंधी अर्हता, लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों से सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है।

टिप्पणी 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले पारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4. पोषक संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
1. अध्यक्ष, विभागीय कैंटीन समिति, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	-अध्यक्ष
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	- सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी, शर्करा प्रशासन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	- सदस्य

[फा. सं. ए-12018/2/2016- एसए]

ज्योत्सना गुप्त, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)**

New Delhi, the 28th November, 2022

G.S.R. 191.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, (Halwai-cum-Cook and Clerk) Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Halwai-cum-Cook, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Halwai-cum-Cook in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur (Halwai-cum-Cook) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Halwai-cum-Cook.	(01)* 2022 * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21,700-69,100).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
<p>Promotion: Canteen Attendant in level-1 (Rs. 18,000-56,900/-) in the pay matrix with six years' regular service.</p> <p>Note .- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with at least three years regular service in Level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the following qualification and experience, namely : -</p> <p>Essential:-</p> <p>(i) 10th class pass from a recognised Board or Institute with a certificate or diploma in catering from a recognised institute;</p> <p>(ii) shall have to pass the trade skill test for cooking conducted to assess suitability.</p> <p>Desirable: Experience of two years in cooking from a Government department or undertaking</p> <p>Note 1.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3.- The maximum age-limit for deputation is fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (For considering Promotion) consisting of:</p> <p>(1) Chairman, Departmental Canteen, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman</p> <p>(2) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Member</p> <p>(3) Section Officer, Sugar Administration, Department of Food and Public Distribution -Member</p>	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A- 12018/2/2016-SA]

JYOTSNA GUPTA, Dy. Secy.